

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल-



spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 40/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.02.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.02.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कप्तानगंज: किशोरी को बहला फुसला कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 31.01.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आरोपी विशाल निषाद S/O सुबाष निषाद ग्रा0 बलुअहवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ गुड्डू निषाद S/O विरज निषाद और उसकी पत्नी संगीता पत्नी गुड्डू निषाद निवासी गौरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ मिलकर द्वारा वादिनी को बहला फुसला कर अपहरण कर लिये और धमकी दिया है कि कही शिकायत करोगी तो जान से मार देगे के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-23/25 धारा 137(2)/87/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 श्रीमाया पति पाण्डेय द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त विशाल निषाद पुत्र सुबाष निषाद ग्राम बलुअहवा थाना अहरौला आजमगढ़ के विरुद्ध प्रचलित है। तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 02.02.2025 को उ0नि0 माया पति पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल निषाद पुत्र सुबाष निषाद साकिन- बलुअहवा लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब- 20 वर्ष वर्ष को समय करीब-09.30 बजे सुबह छाता पूरा अंडर बाईपास के पास नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 23/25 धारा 137(2)/87/351(3)बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
- 2.मु0अ0स0 429/24 धारा 351(2),352,76, बीएनएस व 67 IT Act. थाना कप्तानगंज आजमगढ़।



02.थाना-कंधरापुर: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 28.01.2025 को अनुमोदन शुदा प्राप्त गैंगचार्ट दिनांक 30.01.2025 को मु0अ0सं0 24/2025 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 बनाम 1. अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) 2.छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ग्राम ककरापार थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर 3.मंसूर पुत्र अनवर निवासी ग्राम मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ 4.सुनील यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 5. जुम्न पुत्र जुल्फन निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ 6. सलाऊद्दीन पुत्र तौहिद निवासी ग्राम मेहियापार थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 30.01.25 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 03.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को मंदूरी तिराहे गोशाला के से समय 04.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



03. थाना मुबारकपुर: मंदिर में ताला तोड़कर दान पेटिका से रूपये चोरी करने वाला अभियुक्त 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.02.2025 को वादी मुकदमा किशन मोदनवाल पुत्र कालीचरन मोदनवाल सठियांव बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना क्षेत्रांगत सठियांव चौराहा पर स्थित हनुमान मन्दिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान पेटिका से 400/- से 500- रूपये अभियुक्त शिवा पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा चोरी किये जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 305 BNS बनाम शिवा पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सठियांव उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार के निदेशन में सठियांव चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के रूपये बरामदगी के दृष्टिगत उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर सठियांव स्थित देशी शराब के ठेके की दुकान के पास से नामजद अभियुक्त शिवानन्द उर्फ शिवा पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 21.45 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 411 रूपये की बरामदगी की गयी। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 162/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

